तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही
31.7.25	पत्रावली आज पेश हुई पी.ओ. साहब आज दौरे पर पधारे है अब पत्रावली पुर्वानुसार दिनांक 1.9.25 को पेश की जावे
1.9.25	पत्रावली आज पेश हुई बार द्वारा कार्य स्थगन किया [illegible] अब पत्रावली पुर्वानुसार दि[illegible] 27.10.25 को पेश की जावे
27.10.25	पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित प्रकरण मे तहसीलदार बेगू से पूर्व मे प्राप्त फर्द बटवारा रिपोर्ट पर वकील वादी की एकतरफा बहस सुनी गई वकील वादी ने प्राप्त फर्द बटवारा रिपोर्ट अनुसार दावा अन्तिम डिक्री किया जाने का निवेदन किया गया दावा अन्तिम डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय व डिक्री पृथक से लिखी जाकर शामील पत्रावली की गई पत्रावली मे डिक्री कि प्रति तहसीलदार बेगू को पालनार्थ दि जावे। पत्रावली वास्ते फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

...यालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)
पीठासीन अधिकारी अंकित सामरिया आर.ए.एस

दावा संख्या ::—138/2019

फतेह मोहम्मद मृतक के बजायः—
1— फैज मोहम्मद पिता स्व. फतेह मोहम्म्द उस्ता निवासी बेगूँ तह0 बेगूँ
2— मोहम्मद रफिक पिता स्व. फतेह मोहम्म्द उस्ता निवासी बेगूँ तह0 बेगूँ
3— मोहम्मद इकबाल पिता स्व. फतेह मोहम्म्द उस्ता निवासी बेगूँ तह0 बेगूँ
4— मोहम्मद सलीम पिता स्व. फतेह मोहम्म्द उस्ता निवासी बेगूँ तह0 बेगूँ

वादीगण

बनाम

1—अब्दुल अजीम पिता स्व. कादरबक्ष उस्ता निवासी बेगूँ तह0 बेगूँ
2—श्रीमान भूमिधारी जी जरिये तहसीलदार साहब बेगूँ

प्रतिवादीगण

उपस्थित ::—श्री अनिल कुमार शर्मा
अधिवक्ता वादीगण
प्रतिवादीगण
अनुपस्थित

निर्णय दिनांक ::— **27.10.2025**

निर्णय वाद अ0धा0 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादीगण की ओर से वाद पत्र अधिवक्ता श्री अनिल कुमार शर्मा द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन इस प्रकार किया गया कि मौजा बेगूँ प0ह0 बेगूँ तहसील बेगूँ में वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि आराजीयात राजस्व रैकार्ड के खाता संख्या 06 में दर्ज स्थित है जिसका विवरण निम्न प्रकार है :—

आराजी संख्या		रकबा हैक्टर में
1138		0.5100
1139		0.0490
1140		0.6230
1141		0.6470
किता—4	कुल रकबा	1.8290 हैक्टर

यह कि वादपत्र की कलम सं. 1 मे वर्णित पेत्रिक संयुक्त खातेदारी की कृषि आराजियात में वादी का 1/2 एवं प्रतिवादी सं0 1 का भी 1/2 हक हिस्सा निहित है तथा वादी व प्रतिवादी सं0 1 अपने—अपने निहित हक हिस्सा अनुसार मौके पर आपसी तौर पर मौखिक बटवाडा कर निरंतर काबिज हो काश्त करते आ रहे है लेकिन मौके पर एवं राजस्व रैकार्ड में विधिवत विभाजन नहीं होने के कारण वादी व प्रतिवादी के मध्य आए दिन फसल बोने व घास चारा काटते समय विवाद होता रहता है। जिसके स्थाई समाधान के लिए वादी ने आपसी सहमति से तहसील में चलकर खाता विभाजन कराने के लिए प्रतिवादी को कहा तो प्रतिवादी द्वारा इनकार कर देने से यह वादपत्र वास्ते विभाजन हेतु न्यायालय में पेश है।

यह कि वाद कारण दिनांक 5.09.2019 को वादी ने प्रतिवादी को तहसील में चलकर भूमि का बटवाडा कराने एवं खाता अलग कराने के लिए कहा तो प्रतिवादी द्वारा इन्कार करने से उत्पन्न होकर हर रोज वर्तमान है।

यह कि वादपत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित संयुक्त खातेदारी की कृषि आराजियात में वादी का 1/2 हक हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में अच्छी

च्छी व बुरी से बुरी भूमि का मिट्स एण्ड बाउन्ड के आधार पर विभाजन किए जाने की आज्ञप्ति
1 के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 प्रदान कराई जावें।

त्रावली वाद जांच दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन् से तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 सूचना के बावजूद उपस्थित नहीं होने से प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। प्रतिवादी संख्या 2 फोरमल पक्षकार होने से जवाब की आवष्यकता नहीं होने से जवाब बन्द कर प्रकरण में वादी की साक्ष्य हेतु शपथ पत्र फतेह मोहम्मद के लिए जाकर बयान कलम बद्ध कर दस्तावेज प्रदर्श कराये जो प्रदर्श–1 नकल जमाबन्दी प्रदर्श–2 नक्शा ट्रेस है।

वाद अ.धा. 53 RTA पर वकिल वादी एक तरफा बहस सुनी गई वकील वादी अपनी एक तरफा बहस में निवेदन इस प्रकार से किया है कि मौजा बेगूँ प0ह0 बेगूँ की आ.स. 1138, 1139, 1140, 1141 कुल किता 4 कुल रकबा 1.8290 है0 भूमि में वादी का 1/2 व प्रतिवादी सं. 1 का 1/2 हक हिस्सा निहित है जिस पर हक हिस्सा निहित है। जिसका विभाजन कराने के वादिगण हकदार है। जिससे दावा प्राथमिक डिक्री किया जाने योग्य पाया जाता है।

अतः वाद वादीगण का वाद अ.धा. 53 RTA का स्वीकार किया जाता है दावा प्राथमिक डिक्री किया जाता है। मौजा बेगूँ प0ह0 बेगूँ की आराजी सं. 1138, 1139, 1140, 1141 कुल किता 4 कुल रकबा 1.8290 है0 भूमि में वादीगण का 1/2 हक हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में आराजी का अच्छी से अच्छी बुरी से बुरी भूमि का मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर काबिज अनुसार भूमि का विभाजन करने हेतु तहसीलदार बेगूँ को 1500 रू कमिश्नर शुल्क पर नियुक्त किया जाता है। उक्त निर्णय अनुसार अंतिम डिक्री जारी की जाती है। अंतिम डिक्री की प्रति तहसीलदार बेगूँ को उक्त आराजी के विभाजन हेतु भिजवाई जावे।

उक्त प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार बेगूँ के पत्र क्रमांक/राजस्व /2025/899 दिनांक 15.10.2025 से फर्द बंटवारा इस न्यायालय को भिजवाई गई जिस पर उभय पक्ष की बहस को ध्यान पूर्वक सुना गया अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में प्राप्त फर्द बंटवारा रिपोर्ट को सही होना स्वीकार करते हुए दावा अंतिम डिक्री किया जाने का निवेदन किया है। फर्द बंटवारा रिपोर्ट अनुसार दावा वादी का स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री किया जाने योग्य पाया जाता है।

अतः वाद वादी का अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का फर्द बंटवारा रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाता है, दावा अंतिम डिक्री किया जाता है, मौजा बेगूँ हल्का बेगूँ की आराजीयात का विभाजन वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार से किया जाता है।

1– श्री अब्दुल अजीज पिता कादरबक्ष मुसलमान सा. देह खातेदार

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर
1140	0.6230
1141 मेसे	0.2550
कीता– 02	0.8780 हैक्टर

2– श्री मोहम्मद रफीक मोहम्मद इकबाल मोहम्मद सलीम पिता फतेह मोहम्मद हि. 3/4 मोहम्मद कैफ, हिना बी, कशिश पिता फैज मोहम्मद, खेरूननिशा पति फैजमोहम्मद हि. 1/4, खातेदार

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर
1138	0.5100
1141 मेसे	0.3000
1141 मेसे	0.0660
कीता– 03	0.8760 हैक्टर

…ा अब्दुल अजीज पिता कादरबक्ष, हि. 1/2, मोहम्मद रफीक, मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद …म, पिता फतेह मोहम्मद हि. 3/8, मोहम्मद कैफ, हिना बी, कशिश पिता फैज मोहम्मद, …रूननिशा पति फैजमोहम्मद हि. 1/8, सा.देह खातेदार

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	
1139	0.0490	आ.चा.
1141 मेसे	0.0260	रास्ता
कीता– 02	0.0750 हैक्टर	

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अंकन करते हुए खाता वादी एवं प्रतिवादीगण का पृथक पृथक किया जाने का आदेश दिया जाता है।

यह अंतिम निर्णय आज दिनांक 27.10.2025 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(अंकित सामरिया)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूं

मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 नियम 6 और 7)

यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)

पीठासीन अधिकारी अंकित सामरिया आर.ए.एस

दावा संख्या ::–138/2019

फतेह मोहम्मद मृतक के बजायः–
1– फैज मोहम्मद पिता स्व. फतेह मोहम्द उस्ता निवासी बेगूँ तह0 बेगूँ
2– मोहम्मद रफिक पिता स्व. फतेह मोहम्द उस्ता निवासी बेगूँ तह0 बेगूँ
3– मोहम्मद इकबाल पिता स्व. फतेह मोहम्द उस्ता निवासी बेगूँ तह0 बेगूँ
4– मोहम्मद सलीम पिता स्व. फतेह मोहम्द उस्ता निवासी बेगूँ तह0 बेगूँ
वादीगण

बनाम

1– अब्दुल अजीज पिता स्व. कादरबक्ष उस्ता निवासी बेगूँ तह0 बेगूँ
2– श्रीमान भूमिधारी जी जरिये तहसीलदार साहब बेगूँ
प्रतिवादीगण

निर्णय वाद अ0धा0 53 राज0 काश्त0 अधि0

वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री अनिल शर्मा तथा प्रतिवादीगण की ओर से अनुपस्थित में इस वाद अ.धा. 53 आर.टी.एक्ट में आज दिनांक 17.10.2023 को पीठासीन अधिकारी अंकित सामरिया सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बेगूँ के समक्ष अंतिम निपटारे हेतु उपस्थित होने से अतः वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राज0 काश्त0 अधि0 का स्वीकार किया जाता है दावा अंतिम डिक्री किया जाता हैः–

अतः वाद वादी का अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का फर्द बंटवारा रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाता है, दावा अंतिम डिक्री किया जाता है, मौजा बेगूँ हल्का बेगूँ की आराजीयात का विभाजन वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार से किया जाता है।

1– श्री अब्दुल अजीज पिता कादरबक्ष मुसलमान सा. देह खातेदार

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर
1140	0.6230
1141 मेसे	0.2550
कीता– 02	0.8780 हैक्टर

2– श्री मोहम्मद रफीक मोहम्मद इकबाल मोहम्मद सलीम पिता फतेह मोहम्मद हि. 3/4 मोहम्मद कैफ, हिना बी, कशिश पिता फैज मोहम्मद, खेरूननिशा पति फैजमोहम्मद हि. 1/4, खातेदार

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर
1138	0.5100
1141 मेसे	0.3000
1141 मेसे	0.0660
कीता– 03	0.8760 हैक्टर

3– श्री अब्दुल अजीज पिता कादरबक्ष, हि. 1/2, मोहम्मद रफीक, मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद सलीम, पिता फतेह मोहम्मद हि. 3/8, मोहम्मद कैफ, हिना बी, कशिश पिता फैज मोहम्मद, खेरूननिशा पति फैजमोहम्मद हि. 1/8, सा.देह खातेदार

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	
1139	0.0490	आ.चा.
1141 मेसे	0.0260	रास्ता
कीता– 02	0.0750 हैक्टर	

...त्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अंकन करते हुए खाता वादी एवं प्रतिवादीगण का पृथक पृथक ...या जाने का आदेश दिया जाता है।

यह अंतिम निर्णय आज दिनांक 27.10.2025 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(अंकित सामरिया)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूं

क्रमांक / सरिश्ता / 2025 / 865 दिनांक :- 29.10.25

दावा संख्या 138 / 2019 व अनवान फतैह मोहम्मद वगै बनाम अब्दुल अजीज वगै वाद अ0धा0 53 आर. टी.एक्ट में जारी अंतिम डिक्री की प्रति वास्ते पालनार्थ तहसीलदार बेगूं को दी जाती है ।

सलग्न :- नक्शा ट्रेस

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूं